

विवरण 4 कक

चयनित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्य/पात्र संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के पास एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के अंतर्गत खातों में शेष निधि को दर्शाने वाला विवरण

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में वे योजनाएं शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण केंद्र और राज्य दोनों अनुमोदित साझेदारी पद्धति के अनुसार करते हैं और जिनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 से संघ सरकार एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) मॉडल का कार्यान्वयन करती रही है। इसका उद्देश्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को निधियों के प्रवाह में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें व्यय की रफ्तार के आधार पर राज्यों को योजना निधियों को सही समय पर जारी करना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि संघ सरकार/राज्य अपनी विकास/कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण लेते हैं इसलिए इस व्यवस्था में निधियों को फ्लोटिंग में/अप्रयुक्त रखने से बचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आगे उत्पादक उपयोग के लिए ब्याज लागतों में बचतें होती हैं। इस मॉडल से यथार्थपूर्ण एवं पारदर्शी बजट आयोजना में भी मदद मिलती है।

प्रत्येक योजना के लिए, राज्य सरकार एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करती है और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसका खाता खोलती है। समस्त योजना निधियां इस एसएनए खाते में ही रहती हैं। इससे आगे योजना का कार्यान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियां (कार्यान्वयन एजेंसियां) एसएनए खाते से निधियों का आहरण करने के लिए जीरो बैलेंस सबसीडियरी खाते (जेडबीएसए) खोलती हैं। राज्यों के राजकोष पीएफएमएस के साथ समेकित होते हैं और सीएसएस निधियों के केंद्रीय एवं राज्य अंशों की रिलीज़ के डाटा का आदान-प्रदान करते हैं। पीएफएमएस में एसएनए बैंक खातों की भी मैपिंग की जाती है, जिससे कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एसएनए खाते में निधियों की उपलब्धता के विषय में लगभग रीयल टाइम जानकारी मिल सके।

निम्नलिखित तालिका में चयन योजना-वार परिव्ययों (₹500 करोड़ से अधिक के ब.अ. 2024-25 वाली योजनाओं हेतु), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 31.12.2024 तक जारी की गई कुल निधि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के एसएनए में शेष निधियों (दिनांक 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार) के ब्यौरे दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	31.12.2024 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
1. कृषि और किसान कल्याण विभाग						
(i) कृषोन्नति योजना	7,447.00	7,106.36	2,254.94	688.05	143.85	831.90
(ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7,553.00	6,000.00	2,597.52	1,162.25	233.20	1,395.45
4. आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय						
(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	1,200.00	1,046.00	678.29	886.79	404.37	1,291.16
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग						
(i) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने-ले जाने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलरों का मार्जिन	7,075.00	7,075.00	5,618.15	2,047.45	2,589.10	4,636.55
25. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग						
(i) समग्र शिक्षा	37,500.00	37,010.00	17,605.05	7,578.09	3,937.94	11,516.03
(ii) राज्यों के लिए अध्यापन शिक्षण एवं परिणामों का सुदृढीकरण (एसटीएआरएस)	1,250.00	850.00	523.99	439.47	154.00	593.47

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	31.12.2024 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
(iii) उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री)	6,050.00	4,500.00	1,497.29	669.51	544.57	1,214.08
(iv) प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्ववर्ती स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)	12,467.39	10,000.00	3,725.77	4,025.07	1180.13	5,205.20
26. उच्चतर शिक्षा विभाग						
(i) प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)	1,814.94	895.00	128.63	394.22	48.97	443.19
43. मत्स्यपालन विभाग						
(i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	2,352.00	1,500.00	271.01	208.89	296.97	505.86
44. पशुपालन और डेयरी विभाग						
(i) मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र योजना का सीएसएस घटक)	630.00	614.28	191.53	63.73	55.07	118.80
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय						
(i) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई)	879.50	1,200.00	680.26	261.89	99.67	361.56
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग						
(i) आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)	7,300.00	7,605.54	4,483.71	285.62	0.00	285.62
(ii) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	3,200.00	3,000.00	1,111.69	826.19	319.02	1,145.21
(iii) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए फ्लैक्सिबल पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	28,783.00	28,783.00	23,792.10	2,958.57	29.46	2,988.03
(iv) अवसंरचना रखरखाव	7,000.00	7,000.00	5,788.45	2.77	25.90	28.67
(v) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	1,274.79	579.12	174.58	4,766.97	2,292.15	7,059.12

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	31.12.2024 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
51. पुलिस						
(i) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	3,720.13	2,623.74	1,546.85	858.65	6,104.61	6,963.26
(ii) वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम	1,050.00	209.00	29.63	59.36	23.12	82.48
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						
(i) पीएमएवाई शहरी (एसएनए के अंतर्गत शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें)	23,712.04	11,609.04	2,563.16	4,372.49	1,639.90	6,012.39
(ii) पीएम-ईबस सेवा योजना	1,300.00	500.00	438.25	328.48	335.95	664.43
(iii) स्मार्ट सिटी मिशन (100 स्मार्ट सिटी के विकास का मिशन)	2,237.00	1,910.32	1,200.98	3,301.42	3,542.77	6,844.19
(iv) अमृत (शहरी नवीकरण मिशन-500 शहर)	8,000.00	6,000.00	4,158.12	10,963.79	1,414.03	12,377.82
(v) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	5,000.00	2,159.42	1,346.35	10,406.18	1,912.99	12,319.17
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग						
(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना						
(क) हर खेत को पानी	600.00	600.00	234.53	117.64	54.02	171.66
(ख) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋणों की अदायगी	3,749.80	3,880.85	2,877.14	0.00	0.00	0.00
(ग) पीएमकेएसवाई-कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	1,400.00	100.00	38.34	410.10	15.48	425.58
(घ) पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	2,500.00	2,040.00	629.21	675.40	256.60	932.00
(ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन	592.11	591.12	178.94	82.54	62.18	144.72
63. पेयजल और स्वच्छता विभाग						
(i) जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन*	70,162.90	22,694.00	21,871.80	8,168.73	5614.09	13,782.82
(ii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	7,192.00	7,192.00	1,993.61	1,008.36	249.15	1,257.51

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	31.12.2024 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
65. विधि एवं न्याय						
(i) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	1,000.00	1,133.40	886.55	479.74	286.65	766.39
70. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय						
(i) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम	910.90	908.90	618.00	947.54	105.89	1,053.43
72. पंचायती राज मंत्रालय						
(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	1,063.67	765.00	534.76	519.87	24.02	543.89
87. ग्रामीण विकास विभाग						
(i) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम						
(क) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6,645.90	7,014.90	4,618.84	1,705.32	104.60	1,809.92
(ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	659.00	300.00	232.83	211.83	21.58	233.41
(ग) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडबल्यूपीएस)	2,026.99	2,026.99	1,482.45	499.87	2.11	501.98
(ii) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000.00	14,500.00	6,073.84	8,254.81	908.79	9,163.60
(iii) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	54,500.14	32,426.33	14,354.46	13,111.05	1,604.42	14,715.47
(iv) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका	15,047.00	15,047.00	6,494.99	3,955.78	264.61	4,220.39
(v) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	86,000.00	86,000.00	79,625.97	3,205.36	1,146.19	4,351.55
88. भूमि संसाधन विभाग						
(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	2,501.00	1,800.00	780.90	689.42	257.33	946.75
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय						
(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति	6,359.98	5,500.00	2,439.58	1,325.79	0.00	1,325.79
(ii) प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	2,140.00	800.00	388.10	773.03	70.01	843.04

विवरण 4 कक

एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में शेष निधि

मांग सं. और नाम	ब.अ. 2024-25	सं.अ. 2024-25	31.12.2024 तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां	राज्यों और पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए बैंक खातों में शेष निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजकोष में सीएसएस निधियां (केंद्रीय अंश+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश) (जिन्हें एसएनए को अंतरित नहीं किया गया)	राज्यों/पात्र संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल निधियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)
(iii) नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन की व्यवस्था का सुदृढीकरण	550.00	500.00	402.27	276.81	103.01	379.82
(iv) पीएम यंग अचीवर्स स्कोलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया- पीएम येशस्वी						
(क) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति	921.00	921.00	314.77	541.44	635.95	1,177.39
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय						
(i) अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)						
(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति	2,432.68	2,462.68	1,877.46	750.91	573.12	1,324.03
(ख) प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	1,000.00	127.51	74.19	1,541.37	184.25	1,725.62
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय						
(i) सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 (व्यापक आईसीडीएस-आँगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह योजना)	21,200.00	20,070.90	15,053.88	11,145.18	787.77	11,932.95
(ii) मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	1,472.17	1,391.00	788.62	674.31	180.02	854.33
(iii) महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन						
(क) संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत इत्यादि)	629.00	422.36	154.18	158.21	57.54	215.75
(ख) सामर्थ्य (शक्ति सदन(स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह) सखी निवास, पालना, पीएमएमवीवाई/ राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र/महिलोन्मुखी बजट आयोजना/अनुसंधान/ कौशल/प्रशिक्षण इत्यादि	2,516.97	1,028.74	431.84	1,176.21	134.33	1,310.54

स्पष्टीकरण नोट: उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गई योजनाएं वे योजनाएं हैं, जहाँ बजट अनुमान 2024-25 ₹ 500 करोड़ से अधिक है और जिनके संबंध में एसएनए लागू है।

* जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय अंश राज्य राजकोष को नहीं बल्कि ईएससीआरओडब्ल्यू खातों को अंतरित किया जाता है।

स्रोत: पीएमएस